न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (सांचौर)

पीठासीन अधिकारी : हनुमाना राम आर.ए.एस.

मुकदमानम्बर : 2/2024

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
मकनाराम पुत्र छोगा कौम माली, साकिन केरिया तहसील चितलवाना		राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना जिला सांचौर

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 05/04/2024

उपस्थित :

1. प्रार्थी मकनाराम पुत्र छोगा जाति माली निवासी केरिया।
2. अप्रार्थी (राजपेरोकार) तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मकनाराम पुत्र छोगा जाति माली निवासी केरिया तहसील चितलवाना ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पेश किया कि वाके सरहद मौजा केरिया पटवार हल्का केरिया के खाता संख्या 387 के खसरा संख्या 1037/2016, खसरा संख्या 1038 व खाता संख्या 386 के खसरा संख्या 2480/2455 मुझ प्रार्थी के नाम से आया हुआ है। मुझ प्रार्थी का जमाबंदी मे नाम मगना पुत्र छोगा दर्ज है जो गलत नाम दर्ज है। जबकि मुझ प्रार्थी का वास्तविक नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी मकनाराम पुत्र छोगा दर्ज है, जो सही है। बचपन मे मुझ प्रार्थी को घर पर प्यार से सब मगना नाम से पुकारते थे जिसकी वजह से राजस्व रेकर्ड मे मगना पुत्र छोगा दर्ज कर दिया। जबकि वास्तविक सही नाम मकनाराम पुत्र छोगा जाति माली निवासी केरिया है। इसलिए मै अपना नाम खातेदारी की भूमि तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि मे अपना नाम मगना की जगह मकनाराम पुत्र छोगा करवाना चाहता हू। अतः मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे मगना की जगह मकनाराम किया जावे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दिनांक 25.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत् कोई आपत्ति नहीं है। परिवादी मकनाराम वल्द छोगा के खातेदारी भूमि मौजा केरिया के खसरा संख्या 1037/2016, 1038, 2480/2455 कुल रकबा हेक्टेयर की आई हुई है। जिसमे परिवादी का नाम मगना पुत्र छोगा दर्ज है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कर मकनाराम पुत्र छोगाराम दर्ज करवाना चाहता है। मजमे आम मे पुछताछ करने व प्रार्थी के सभी दस्तावेज जांचने पर प्रार्थी का वास्तविक नाम मकनाराम पुत्र छोगाराम होना बताया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

गया है। अतः प्रार्थी का नाम मगना पुत्र छोगा के स्थान पर मकनाराम पुत्र छोगाराम शुद्व करने की अनुशंषा सहित जवाब पेश है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया। सरहद मौजा केरिया पटवार हल्का केरिया के खाता संख्या 387 के खसरा संख्या 1037/2016, खसरा संख्या 1038 व खाता संख्या 386 के खसरा संख्या 2480/2455 जुमले रकबा 1.94 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का नाम मगना पुत्र छोगा दर्ज है, जबकि पत्रावली पर प्रस्तुत अन्य दस्तावेज में मकना राम पुत्र छोगाराम दर्ज है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त कर मकनाराम पुत्र छोगाराम करवाना चाहता है तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत जवाब में दुरूस्ती बाबत् कोई आपत्ति नही है अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चितलवाना को आदेश दिया जाता है कि वाके सरहद मौजा केरिया पटवार हल्का केरिया के खाता संख्या 387 के खसरा संख्या 1037/2016, खसरा संख्या 1038 व खाता संख्या 386 के खसरा संख्या 2480/2455 जुमले रकबा 1.94 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी आराजी मे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मगना पुत्र छोगा के बजाय मकनाराम पुत्र छोगाराम दर्ज किया जावे। तहसीलदार चितलवाना को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
(हनुमाना राम RAS)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (सांचोर)

निर्णय आज दिनांक 05/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
(हनुमाना राम RAS)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested